दिल्ली क्षेत्र के तदर्थ अध्यापकों को आयु में छूट

*578. श्री गोविन्द राम मिरी :
श्री जे० एस० राजू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय, विद्यालय संगठन नें हाल ही में यह निर्णय लिया है और उसे प्रचारित किया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र के समस्त सेवारत तदर्थ और अंशकालिक अध्यापकों को प्राथमिक और प्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता दे दी जाए, जिनके लिए साक्षात्कार आगामी ग्रीष्मावकाश के दौरान होने जा रहे हैं, तथा उन्हें आयु-सीमा में छूट भी दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो अन्य 17 क्षेत्रों विशेषकर भोपाल के मामले में ऐसा न किए जाने और इस प्रकार प्रशासनिक प्रयोजन से 18 क्षेत्रों में समूहबद्ध केंद्रीय विद्यालयों के तदर्थ/अंशकालिक अध्यापकों के बीच भेदभाव किए जाने के क्या कारण हें ; और

(ग) क्या यह भेदभाव गैर-कानूनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान, तदर्थ अंशकालिक शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रों में नियमित नियुक्ति के वास्ते उनके मामलों पर विचार करने के लिए आवेदन देने के लिए अवसर दिया गया जिनमें भोपाल क्षेत्र शामिल है जहां भर्ती की गई । तदर्थ/अंशकालिक शिक्षकों को उनकी सेवाओं की सीमा तक आयु में छूट का लाभ दिया गया । इसी प्रकार का अवसर और लाभ, आगामी गरमी की छुट्टियों में दिल्ली क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कारो के लिए दिल्ली क्षेत्र के तदर्थ/अंशकालिक शिक्षकों को प्रदान किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Transfer of KVS Employees in relaxation of transfer Guidelines

*579. SHRI MISA R. GANESAN:
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT toe pleased to state:

(a) what are the details of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan and Kendriya Vidyalaya category, Vidyalaya-wise who have been transferred|posted on promotion|re-eruitment during the 1993-94 session in relaxation of provisions of KVS Transfer Guidelines at the instance of (i) the Chairman and (ii) Commissioner; and

(b) the reasons/conditions that warranted such transfer/posting in each case?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Transfers in Kendriya Vidyalaya Sangathan in 1993-94 have been in accordance with its transfer guidelines. The transfers made on the orders of the Chairman and Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan are covered under the transfer guidelines.

(b) Does not arise.

भेड़-फार्म के लिए उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण

*580. श्री महेश्वर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार ने एक भेड-फार्म चलाने के लिए कूल्लू जिले में सैंज के किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और भू-स्वामियों